न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

(सुरेश चौधरी, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्ट दिनांकः—

06 / 2022
21.11.2022

देवाराम गुर्जर पुत्र श्री नारायण गुर्जर जाति गुर्जर निवासी संथली ग्राम पंचायत संथली, तहसील देवली जिला टोंक राज.

बनाम .....प्रार्थी

1—भैरूलाल गुर्जर पुत्र श्री सुखलाल गुर्जर जाति गुर्जर निवासी संथली ग्राम पंचायत संथली, तहसील देवली जिला टोंक राज.
2—ग्राम पंचायत संथली, पंचायत समिति देवली जरिये सरपंच कार्यालय ग्राम पंचायत संथली तहसील देवली जिला टोंक राज.

..... प्रतिपक्षीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम 1994 विरूद्ध पट्टा सं. 3 मिसल सं. 3 दिनांक 21.05.2015 ग्राम पंचायत संथली पंचायत समिति देवली

उपस्थित—

1. श्री नवरतन साहू एडवोकेट, अभिभाषक प्रार्थी।
2. श्री राजेश गुर्जर IV अभिभाषक विपक्षी सं. 1 ।

निर्णय

दिनांक 10.09.2024

संक्षेप में निगरानी का सार इस प्रकार हैं कि प्रतिपक्षी सं. 2 ने दिनांक 21.05.2015 को प्रतिपक्षी सं. 1 के पक्ष मे ग्राम पंचायत संथली, तहसील देवली की आबादी भूमि में कुल 163.15 वर्गगज का आवासीय पट्टा सं. 3 दिनांक 21.05.2015 जारी किया जिसे राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम के विपरित व कब्जे की वास्तविक स्थिति के विपरित बताते हुए उक्त पट्टे को अपास्त कराने के लिए निगरानीकर्ता ने उक्त निगरानी पेश की है।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत से संबंधित पट्टे की मूल पत्रावली तलब करने हेतु पत्र लिखा गया। ग्राम पंचायत ने पट्टे से संबंधित पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रेषित की। प्रकरण में अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक निगरानीकर्ता ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए कथन किया कि प्रतिपक्षी सं. 2 ने दिनांक 21.05.2015 को प्रतिपक्षी सं. 1 के पक्ष मे ग्राम

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

पंचायत संथली, तहसील देवली की आबादी भूमि में कुल 163.15 वर्गगज का आवासीय पट्टा सं. 3 जारी किया जो कि विधि विधान, वास्तविक तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये योग्य है। जिस मकान का पट्टा जारी किया गया है वह मकान प्रार्थी रिवीजनर का पुश्तैनी मकान है जिस पर वह काबिज मालिक स्वामी होकर निरन्तर काफी वर्षो से अपने परिवार सहित निवास कर उसका उपयोग उपभोग करता चला रहा है। प्रार्थी रिवीजनकर्ता द्वारा एक शिकायत प्रार्थना पत्र प्रतिपक्षी सं. 2 को दिनांक 01.10.2015 को पेश किये जाने पर उक्त प्रार्थना पत्र पर प्रतिपक्षी सं. 2 द्वारा दिनांक 05.10.2015 को ग्राम पंचायत कोरम मे सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि भैरूलाल पुत्र सुखलाल गुर्जर द्वारा ग्राम पंचायत से जो पट्टा बनवाया है वह गलत हैं। ऐसी स्थिति में उक्त पट्टा विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रतिपक्षी सं. 1 द्वारा प्रतिपक्षी सं. 2 को गलत जानकारी देकर एवं ग्राम पंचायत सचिव से सांठगांठ कर बिना मौके वास्तविक जांच किये ही उक्त पट्टा दिया गया है। प्रतिपक्षी सं. 2 ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी को सुनवाई का अवसर देने हेतु कोई नोटिस भी जारी नही किया गया है और इस प्रकार का कोई सार्वजनिक उद्घोषणा चस्पा नहीं की गयी है तथा नियमानुसार पट्टा जारी करने से पूर्व किसी प्रकार की कोई आपत्तियां भी आमंत्रित नही की गयी है और ना ही वास्तविक मौके की जांच पड़ताल की गयी है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के तहत प्रार्थी उक्त पुश्तैनी मकान का मालिक काबिज स्वामी है जिसको सुनवाई का अवसर दिया जाना उचित एवं न्यायसंगत था, सूचना व उद्घोषणा जारी करनी चाहिए थी। प्रतिपक्षी सं. 1 उक्त गलत पट्टे के आधार पर प्रार्थी रिवीजनर को परेशान व उक्त मकान से जेरेबार करने पर उतारू हैं। प्रतिक्षी सं. 1 द्वारा प्रार्थी रिवीजनकर्ता को दिनांक 10.07.2022 को उक्त मकान से बेदखल करने की धमकी दी कि हमने उक्त मकान का पट्टा हमारे हक मे बनवा लिया है जिसकी जानकारी आने पर प्रार्थी रिवीजन द्वारा ग्राम पंचायत मे नकल का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा दिनांक 12.07.2022 को ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा सं. 3 व कोरम की नकलें दी गयी उसके पश्चात प्रार्थी रिवीजन टाईफाईड से ग्रस्त हो जाने के कारण अपना देशी इलाज करवाता रहा। देशी इलाज से ठीक होने के पश्चात अपने अधिवक्ता से सम्पर्क करके बिना किसी विलम्ब के उक्त रिवीजन प्रस्तुत की जा रही है। उक्त रिवीजन पेश करने मे जो देरी हुई है वो उपरोक्त कारणों से मजबूरीवश हुई है जिस हेतु प्रार्थी की ओर से अलग से धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर प्रतिपक्षी सं. 2 द्वारा प्रतिपक्षी सं. 1 के हक में ग्राम पंचायत संथली पंचायत समिति देवली तहसील देवली की आबादी भूमि का पट्टा सं. 3 मिसल सं. 3 दिनांक 21.05.2015 को निरस्त फरमाया जावें।

अभिभाषक नॉन–निगरानीकर्ता ने लिखित बहस पेश की। लिखित बहस में अंकित किया कि प्रार्थी द्वारा उक्त निगरानी झूठे व मनगढन्त तथ्यो के आधार पर पेश की है। ग्राम पंचायत संथली पंचायत समिति देवली जिला टोंक द्वारा प्रतिपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे जो पट्टा जारी किया गया है वह पट्टा सही एवं सत्य है तथा प्रतिपक्षी संख्या 1 ने अपने पुश्तैनी कब्जे

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

एवं स्वामित्व की भूमि पर उक्त पट्टा ग्राम पंचायत से प्राप्त किया है तथा पट्टा प्राप्त करने बाबत जिन जिन दस्तावेजो की आवश्यकता होती है, वह सभी दस्तावेज प्रतिपक्षी संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष पट्टे के आवेदन के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किये थे। ग्राम पंचायत संथली ने प्रतिपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन व उसके साथ संलग्न सभी दस्तावेजो को पूर्ण जाँच कर नियमानुसार प्रतिपक्षी संख्या 1 के हक में पट्टा जारी किया गया है। इसके विपरीत प्रार्थी ने सरपंच व पंचायत के कर्मचारियो व सदस्यो से मिली भगत कर प्रतिपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध ग्राम पंचायत मे झूठे व मनगन्त तथ्यो के आधार पर एक झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत कर उक्त पट्टे का फर्जी होना तथा उक्त पट्टे को निरस्त किये जाने का निवेदन किया जिस पर सरपंच व पंचायत के कर्मचारियों व सदस्यो ने प्रार्थी से मिली भगत कर प्रतिपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध दिनांक 05.10.2015 को मिटिंग करते हुए यह निर्णय किया था कि "आज दिनांक 05.10.2015 को ग्राम पंचायत संथली के सरपंच साहब कैलाश चन्द जी की ओर से आदेश मिला श्री देवाराम गुर्जर पुत्र नारायण गुर्जर संथली प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ जिसमे प्रार्थी ने भैरूलाल पुत्र सुखलाल के विरूद्ध शिकायत की है कि मेरी गुवाड़ी पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है और ग्राम पंचायत संथली को गलत जानकारी देकर ग्राम पंचायत से गलत जानकारी देकर पट्टा बना लिया है जो कि गलत है। कोरम मे सर्वसम्मती से प्रस्ताव लिया कि यह गुवाड़ी देवाराम गुर्जर पुत्र नारायण गुर्जर की है और भैरूलाल पुत्र सुखलाल ने जो यह पट्टा ग्राम पंचायत से बनवाया है यह गलत है। सर्व सम्मती से प्रस्ताव लिया जाता है कि श्रीमान एस.डी.एम को लिखकर लेख है कि पट्टे को निरस्त करवाने की कार्यवाही की जावे व भैरूलाल पुत्र सुखलाल को गलत जानकारी देने की उचित कार्यवाही की जावे। यह प्रस्ताव सर्वसम्मती से कोरम द्वारा लिया जाता है।" प्रतिपक्षी संख्या 1 ने जिस भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत से प्राप्त किया है, वह भूमि प्रतिपक्षी संख्या 1 की पुश्तैनी कब्जाशुदा, स्वामित्व की भूमि है तथा उक्त भूमि अपने पूर्वजो के समय से ही प्रतिपक्षी संख्या 1 बहैसियत मालिक काबिज चला आ रहा है। उक्त भूमि से देवाराम व अन्य किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नही है। देवाराम गुर्जर पुत्र नारायण गुर्जर प्रतिपक्षी संख्या 1 की उक्त पट्टाशुदा भूमि को हड़पना चाहता है जिस कारण देवाराम ने सरपंच व पंचायत के कर्मचारियो व सदस्यो से मिली भगत कर झूठे तथ्यो के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत कर प्रतिपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे जारी पट्टा निरस्त करवाने पर आमादा है, जिसका उसे कोई अधिकार प्राप्त नही है। जब न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत संथली से प्रतिपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे जारी किये गये पट्टे की पत्रावली न्यायालय मे उपलब्ध करवाने हेतु निर्देश दिया तो ग्राम पंचायत संथली ने दिनांक 01.09.2023 को अपने पत्र मे अंकन किया कि मूल पत्रावली रिकार्ड मे उपलब्ध नही है, इससे स्पष्ट है कि सरपंच व पंचायत के कर्मचारियो व सदस्यो ने देवाराम गुर्जर से मिली भगत कर रखी है तथा देवाराम व ग्राम पंचायत संथली के पदाधिकारियो की नियत मे खोट है, इस कारण ग्राम पंचायत संथली के पदाधिकारियो ने प्रतिपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे जारी पट्टे की पत्रावली को नष्ट कर दिया है। प्रार्थी द्वारा अपनी रिवीजन की बहस मे दस्तावेज जिनमे बिजली का बिल, मोका स्थल के फोटोग्राफ व प्रार्थी का राशन व आधार कार्ड न्यायालय के

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

समक्ष पेश किये है, उन दस्तावेजो से यह साबित नही होता है कि उक्त पट्टाशुदा भूमि का प्रार्थी मालिक व काबिज है। प्रार्थी देवाराम ने ग्राम पंचायत संथली के सरपंच व पंचायत के कर्मचारियो व सदस्यो से मिली भगत कर झूठे व मनगढन्त तथ्यो के आधार पर उक्त रिवीजन प्रस्तुत की है। अतः निगरानी खारिज की जाकर विपक्षी सं. 1 को जारी पट्टा यथावत रखा जावें।

हमने अभिभाषक उभयपक्ष की बहस को सुना एवं मनन किया। प्रकरण की पत्रावली, ग्राम पंचायत संथली से प्राप्त पट्टा पत्रावली की प्रमाणित प्रति व प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। प्रतिपक्षी सं. 2 ने दिनांक 21.05.2015 को प्रतिपक्षी सं. 1 के पक्ष मे ग्राम पंचायत संथली, तहसील देवली की आबादी भूमि में कुल 163.15 वर्गगज का आवासीय पट्टा सं. 3 जारी किया था। उक्त पट्टा पत्रावली की प्रमाणित प्रति से स्पष्ट होता हैं कि भैरूलाल पुत्र सुखलाल द्वारा पट्टा चाहने हेतु आवेदन किए जाने पर ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया है। निगरानीकर्ता देवाराम द्वारा 05.10.2015 को सरपंच, ग्राम पंचायत संथली को प्रस्तुत शिकायती प्रार्थना पत्र में अंकित हैं कि "पट्टा गलती से भैरूलाल पुत्र सुखलाल गुर्जर के नाम बना दिया है जिसको निरस्त किया जाए।" इससे स्पष्ट होता हैं कि निगरानीकर्ता को दिनांक 05.10.2015 को ही उक्त पट्टे की जानकारी थी इसके बावजूद भी निगरानीकर्ता द्वारा लगभग 7 वर्ष पश्चात् उक्त पट्टा निरस्त करवाए जाने हेतु पत्रावली पेश की है। निगरानी पेश करने में हुई देरी को माफ करने के लिए प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम में बताए गए तथ्य निराधार है। निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत ग्राम पंचायत बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 05.10.2015 में पंचायत ने स्पष्ट नहीं किया हैं कि किस आधार पर भैरूलाल पुत्र सुखलाल को जारी पट्टा गलत साबित हुआ है। निगरानीकर्ता द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य सबूत न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किए हैं जिससे निगरानीकर्ता का उक्त भूमि पर कब्जा सिद्ध होता हो। निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात जिनमे बिजली का बिल, मोका स्थल के फोटोग्राफ व प्रार्थी का राशन व आधार कार्ड न्यायालय के समक्ष पेश किये है, उन दस्तावेजो से यह साबित नही होता है कि उक्त भूमि का प्रार्थी मालिक व काबिज है। अतः ग्राम पंचायत संथली द्वारा विपक्षी सं. 1 भैरूलाल पुत्र सुखलाल को जारी पट्टा सं. 3 दिनांक 21.05.2015 उचित प्रतीत होता है।

फलतः निगरानी निगरानीकर्ता अस्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत संथली, पंचायत समिति देवली जिला टोंक द्वारा दिनांक 21.05.2015 को भैरूलाल पुत्र सुखलाल गुर्जर के पक्ष में जारी किया गया 163.15 वर्गगज आबादी भूमि का पट्टा सं. 3 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10.09.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(सुरेश चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
टोंक